न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकुमार टाडा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2024

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन ..प्रार्थी

बनाम

रतनलाल जाग्रत पुत्र पांचूलाल निवासी पीसागंन तहसील पीसांगन जिला अजमेर

......अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– श्री राम किशोर – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 12.04.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन के आधार जमाबदीं के खाता संख्या 1328 में खसरा संख्या 4089 रकबा 0.22 है. , 4088/6381 रकबा 0.29 है. व खाता संख्या 611 में खसरा संख्या 4088 रकबा 0.27 है. , 4089/6382 रकबा 0.24 है. अकिंत थे। पटवार हल्का पीसागंन व भू.अ. निरीक्षक पीसागंन की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 4089, 4089/6382 समर्पण से सिवायचक दर्ज हुए तथा शेष खसरा सख्या आवासीय ईकाई के रूप में दर्ज है । उक्त खसरा नम्बरों से बने नये खसरा नम्बरों की तरमीम की गयी जो सही थी परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में तरमीम गलत हो रखी है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एंव पटवार हल्का पीसागंन , भू.अ. निरीक्षक पीसागंन एंव तहसीलदार पीसागंन की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 4088, 4088/6513, 4088/6518, 4088/6521, 4088/6523, 4088/6381, 4089/6566, 4089/6514, 4089/6519, 4089/6520, 4089/6382, 4089/6854, 4089/6565, 4089/6826, 4089/6569, 4089/6570, 4089, 4089/6522, 4089/6551 की तरमीम जमाबदीं में दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त किया जावे ।**

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Scanned with CamScanner